निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या :87/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मोहन लाल पुत्र घासीलाल जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम नायला, कावरिया की ढाणी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री ललित मीणा आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जयपुर ग्रामीण।
2. राधेश्याम पुत्र नैहन जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम नायला, कावरिया की ढाणी, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ।

अप्रार्थीगण।

4. रमेश प्रसाद पुत्र घासीलाल
5. रामअवतार पुत्र घासीलाल

समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण, निवासी ग्राम नायला, कावरिया की ढाणी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण।

6. उप पंजीयक, जमवारामगढ जिला जयपुर ग्रामीण ।

प्रोफार्मा अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 34/2024 ब उनवानी मोहन लाल व अन्य बनाम राधेश्याम व अन्य को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री मनीष कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री केदार प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी 2 की की ओर से ।

निर्णय दिनांक 09.07.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 34/2024 ब उनवानी मोहन लाल व अन्य बनाम राधेश्याम व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री केदार प्रसाद शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने वादग्रस्त भूमि के विशिष्ठ भू भाग पर जबरन कब्जा कर दुकानों का निर्माण करने की कुचेष्टा की तथा मना करने पर हाथ पैर तोड़ने व जान से मारने की धमकी दी। जिस पर प्रार्थी व प्रोफार्मा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के वाद विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा मातहत न्यायालय में पेश किया जो वाद संख्या 48/2024 व प्रार्थना पत्र टी आई संख्या 34/2024 ब उनवानी मोहन लाल व अन्य बनाम राधेश्याम व अन्य पेश किया गया। जिसमें बाद तामील मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये । स्टे आदेश जारी होते ही प्रार्थी ने जरिये पुलिस आदेश की पालना करवाई तथा अवैद्य निर्माण कार्य को रूकवाया। अप्रार्थी संख्या 2 ने स्टे आदेश होते ही प्रकरण में दिनांक 28.05.2024 को शीद्य सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी के अधिवक्ता को धमकी दी कि हमने स्टे हटाने की बात करके ही प्रार्थना पत्र शीद्य सुनवाई पेश किया है । दो चार दिन में स्टे तुड़वा कर हम वादग्रस्त भूमि में निर्माण चालू कर देंगे। प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र शीद्य सुनवाई पेश करने के बाद घर पर जाकर एलानिया धमकी दी कि मेरी जान पहचान एम एल ए साहब से अच्छी तरह से है उन्होंने ने कहा कि मै एस डी ओ साहब को कह कर तुम्हारा काम करवा दूंगा । तुम अपना निर्माण कार्य पुनः चालू कर लेना। प्रार्थी को उसके अधिवक्ता ने भी यही बात बतायी जिससे प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश करना आवश्यक हुआ। इस मामले में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विशेष दबाव दिया जा रहा है जिससे प्रार्थी को पठासीन अधिकारी से न्याय की उम्मीद कतई नहीं रही है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के मौके की यथा स्थिति के आदेश को निरस्त करने का मन बना लिया है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में स्थगन प्राप्त कर रखा है। जिसका नाजायज फायदा उठाने एवं प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब करने की नियत से मिथ्या, काल्पनिक एवं मनघढन्त तथ्यों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपो का खण्डन किया है। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से स्थगन प्राप्त किया हुआ है और प्रार्थी ही पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने मे शका जाहिर कर रहा है। प्रार्थी का आरोप पत्रावली पर उपलबध तथ्यों के विपरीत पाया गया है। इसलिए प्रार्थी का कथन मान्य नहीं है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 09.07.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)